वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या 121 /XVII(2)/2008-09(16)/2007

प्रेषक,

राधा रतूड़ी
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
देहरादून, उत्तराखण्ड।

महिला सश0 बाल वि0 एवं सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांक 19 मार्च, 2008

विषयः वित्तीय वर्ष 2007-08 में मद संख्या-07 की अवशेष धनराशि को मद संख्या-06 एवं 08 में पुनर्विनियोग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक संख्याः-2002/बजट/सै.क./पुर्न./07-08/ दिनांक 26 फरवरी, 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2007-08 में मद संख्या-07 के मानक मद 42-अन्य व्यय की अवशेष धनराशि रुपये 31.73 लाख (रुपये एकत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र) को मद संख्या-06 एवं 08 के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहाय में पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1. आय-व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यो के कार्यान्वयन के लिए नहीं किया जाए।
2. उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्यक हो तो, ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।
3. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
4. अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अंतर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध करना सुनिश्चित किया जाए।
6. स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय कदापि न किया जाए।
7. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल में उल्लिखित प्राविधानों एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अंतर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-15 के "आयोजनेत्तर पक्ष" के लेखाशीर्षक 2235-समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-03-सैनिक कल्याण-06-विशिष्ठ सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार अनुदान एवं 08-वीर चक्र श्रृंखला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार के मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के संलग्न प्रारुप के कॉलम-5 के सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रारुप बी0एम0-15 के पुनर्विनियोग कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

10. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्याः-516(NP)/XXVII(3)/2008, दिनांक 17 मार्च, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 121 (1)/XVII(2)/2008-09(16)/2007 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. निजी सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाऐं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
10. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

वित्तीय वर्ष 2007-08
प्र0 विभाग- सै0क0 विभाग
(धनराशि हजार रुपये में)

नियंत्रक अधिकारी-सचिव, सैनिक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।

बजट प्राविधानित लेखाशीर्षक का विवरण		मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस धनराशि)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद कॉलम-1 में अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1		2	3	4	5		6	7	8
अनुदान संख्या-015 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आयोजनेत्तर, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 03-सैनिक कल्याण, 07-वार-टू-सेना मेडल के पुरस्कार प्राप्त राज्य के सैनिकों को एकमुश्त अनुदान/एन्यूटी, 42-अन्य व्यय					अनुदान संख्या-015 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण आयोजनागत, 60-अन्य सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, 200-अन्य कार्यक्रम, 03-सैनिक कल्याण, आयोजनागत 06-विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार अनुदान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	89	139		राज्य सरकार द्वारा वीरता पदक पर देय एकमुश्त अनुदान एवं वार्षिकी की धनराशि में वृद्धि करने के कारण अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ रही है, जिसके कारण पुनर्विनियोग किया जा रहा है।
					08-वीर चक्र श्रृंखला विजेताओं को राज्य सरकार द्वारा एक मुश्त नकद पुरस्कार, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता	3084	3184	2627	
	5800	2627	0	3173		3173	3323	2627	

(रुपये एकत्तीस लाख तिहत्तर हजार मात्र)

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155, में उल्लिखित प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(राधा रतूड़ी)
सचिव, सैनिक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु-03
संख्या:-516(NP)(1)/XXVII(3)/2008
देहरादून 17 मार्च, 2008

पुनर्विनियोग स्वीकृत
(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
महालेखाकार,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

पृष्ठांकन संख्या - (I)/XVII(2)/2008-09(16)/2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)

सचिव, सैनिक कल्याण विभाग,

उत्तराखण्ड शासन।